राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 683/2012/कोटा

सहायक आयुक्त
वृत–ए, वाणिज्यिक कर, कोटा

....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स,
कोटा

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से
.....प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है

निर्णय दिनांक : 17.05.2017

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत–अ, कोटा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा(जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.102011के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कर निर्धारण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 58 के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 के लिए पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.08.2010 के द्वारा ब्याज रू. 12,291/– व कर रू. 21,564/–कुल रू. 33,855/–की मांग सृजित की है। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील का निस्तारण करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2004–05 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.09.2006 को पारित किया गया था। ऑडिट के दौरान पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि में प्लास्टिक व रायल्य प्लास्टिक बैग्स की कुल खरीद रू. 43,50,803/– की करना बताया है और रू. 6,03,118/–का प्रारम्भिक स्टाम था इस प्रकार कुल रू 49,53,921/–का रहा जिसमें से रू. 45,19,521/–की बिक्री की गई है इस प्रकार शेष रू. 4,31,282/–का प्लास्टिक बैग्स का अन्तिम स्टाक रहना चाहिए था जबकि व्यवहारी द्वारा अन्तिम स्टॉक शून्य प्रदर्शित किया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने रू.4,31,282/– पर 5 प्रतिशत की दर से कर रू. 21,564/– व ब्याज रू. 12,291/– कुल रू. 33,855/–की मांग सृजित की है।

कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21.1.2011 विधि के विरूद्ध एवं प्रकरण के तथ्यों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी के प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए अविधिक आदेश पारित कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य वर्ष का अन्तिम स्टाक शून्य प्रदर्शित किया है जबकि अन्तिम स्टाक रू. 4,31,282/–का उसके यहां था, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने 5 प्रतिशत की दर से कर एवं उस कर को

अदेय मानकर उस पर ब्याज आरोपित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

बावजूद सूचना के अपील सुनवाई के समय प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है अतः प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार आलोच्य वर्ष 2004–05 की अवधि में 6,03,118/–के प्लास्टिक बैग्स का प्रारिम्भक स्टॉक माना है और आलोच्य अवधि में रू. 43,50,803/– के प्लास्टिक बैग्स की खरीद मानते हुए कुल प्लास्टि बैग्स रू. 49,53,921/– के माने गये है। व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में रू. 45,19,521/–का विक्रय करना बताया है इसलिए अन्तिम स्टॉक रू. 4,31,282/–का होना चाहिए था जबकि उसके द्वारा प्रारम्भिक स्टॉक शून्य प्रदर्शित किया गया है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने कर एवं ब्याज आरोपित किया है।

अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी ने बताया है कि आलोच्य वर्ष 2004–05 में उसके द्वारा कोई बैग्स की खरीद नहीं की गई है, उसके पास जो गत वर्ष का अन्तिम स्टॉक था उसका ही विक्रय किया गया है, इसलिए स्टॉक शून्य रहा है। उसने यह भी बताया है कि उसके द्वारा आलोच्य अवधि में रू. 45,19,521/– का खल कांकडा क्रय किया गया है ना कि प्लास्टिक सामान। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज अथवा लेखा पुस्तकें अपील सुनवाई के समय नहीं थी जिससे यह पता लग सके कि वास्तव में कौन से माल खरीद बिक्री की गई है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक खरीद बिक्री का पता लगाकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रकार से दिये गये निष्कर्ष में कोई त्रुटि अथवा अविधिकता नजर नहीं आती है।

अपील सुनवाई के समय ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के अभाव में अपीलीय अधिकारी ने नियमानुसार जांच कर वास्तविक खरीद बिक्री की जानकारी करने के पश्चात पुनः कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने पश्चात कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित पालना करना सुनिश्चित करना चाहिए था । यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश की पालना की जा चुकी है, उन पर कोई इस आदेश का प्रभाव नहीं पडेगा, और यदि प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कोई आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है तो राजस्थान कर बोर्ड के द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में अपील संख्या 519 से 521/2008/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2012 के प्रकाश में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

फलतः विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य